सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-1470/15-7-2010-01(67)/2007

प्रेषक,

नरेन्द्र सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 18 जून, 2010

विषय:- प्रदेश में शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में फीस का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2072/15-7-09-1(67)/2010, दिनांक 15-1-2010 एव कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्या-438/15-7-2010-1(67)/2010 दिनांक 18-2-2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में विभिन्न मदो में लागू वर्तमान शुल्क दरों को संशोधित करते हुए उक्त संशोधित शुल्क दरें नये शैक्षिक सत्र जुलाई 2010 से लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 1-4-2010 से दि राइट आफ चिल्ड्रेन टू फ्री एण्ड कम्पल्सरी एजूकेशन एक्ट, 2009 लागू किया गया है जिसकी धारा 3-की उपधारा (1) व (2) में प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण करने वाले कक्षा 8 तक (6 से 14 आयु वर्ग) तक के बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क किसी शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय द्वारा लिये जाने हेतु प्रतिबन्धित किया गया है।

3- अतः सम्यक विचारोपरान्त पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-2072/15-7-09-1(67/2010, दिनांक 15-1-2010 द्वारा जो बढ़ी हुई शुल्क दरें लागू की गयी हैं और जिसमे शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले कक्षा-6 से 8 तक (6 से 14 आयु वर्ग) तक के छात्र भी अच्छादित हैं, को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले कक्षा-6 से 8 तक (6 से 14 आयु वर्ग) तक के छात्र से किसी भी प्रकार का शुल्क न लिये जाने

की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। संदर्भगत शासनादेश दिनांक 15–01–2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश मे उल्लिखित अन्य शर्ते एवं प्राविधान यथावत रहेगें।

4– कृपया तदनुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए यथावश्यक आदेश संबंधित अधिकारियों/शिक्षण संस्थाओं को निर्गत करते हुए आदेशों की प्रतियां शासन को भी यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नरेन्द्र सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या–1470 (1)/15–7–2010 तददिनांक

प्रतिलिपि सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0 सं0– शिविर/3137–3237 /2009–10 दिनांक 6 जुलाई, 2010

उक्त राजाज्ञा की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं यथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1– विशेष सचिव, शिक्षा–7 अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
2– अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।
4– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 ।
5– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
6– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 ।

6/7/10

श्रीमती (प्रतिमा सिंह)
वैयक्तिक सहायक (राजपत्रित)
कृते शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0,
लखनऊ ।

संख्या—2072 / 15—7—09—1(67) / 2009

प्रेषक,

एफ0एन0 प्रधान
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 15 जनवरी, 2010

विषयः— प्रदेश में शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः शिविर / 6504 / 2009—10 दिनांक 23 जुलाई, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में फीस निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या—4886 / 15—7—03—1(112) / 87 दिनांक 03—11—2003 एवं तत्क्रम में समय—समय पर निर्गत पूर्व शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुये विभिन्न मदों में लागू वर्तमान शुल्क दरों के स्थान पर निम्नलिखित सूची में उल्लिखित मद के सम्मुख अंकित संशोधित शुल्क दरें बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्र0 सं0	शुल्क का मद	देय शुल्क की अवधि	कक्षा—6,7 व 8		कक्षा—9 व 10		कक्षा—11 व 12		टिप्पणी
			वर्तमान दर (रू0)	प्रस्तावित दर (रू0)	वर्तमान दर (रू0)	प्रस्तावित दर (रू0)	वर्तमान दर (रू0)	प्रस्तावित दर (रू0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	विकास	मासिक	02.00	05.00	05.00	10.00	08.00	15.00	
2.	क्रीडा	मासिक	00.30	02.00	00.40	05.00	00.60	05.00	
3.	विज्ञान	मासिक	00.30	02.00	01.50	05.00	02.00	05.00	
4.	स्काउटिंग	मासिक	00.30	01.00	—	02.00	—	02.00	
5.	रेडक्रास	मासिक	00.10	01.00	00.20	01.00	00.20	01.00	
6.	पंखा	वार्षिक	01.50	20.00	01.50	20.00	01.50	20.00	
7.	निर्धन शुल्क	वार्षिक	01.20	05.00	01.20	10.00	01.20	10.00	
8.	जलपान	वार्षिक	06.00	10.00	06.00	10.00	06.00	10.00	
9.	वाचनालय	वार्षिक	04.00	08.00	08.00	12.00	08.00	12.00	
10.	श्रव्य दृश्य	वार्षिक	01.00	02.00	01.20	02.00	01.20	02.00	
11.	कला	वार्षिक	01.20	02.00	01.20	02.00	—	—	
12.	पत्रिका	वार्षिक	03.00	10.00	05.00	20.00	05.00	20.00	

2—

Ma.sh.p.

13.	प्रगतिपत्र	वार्षिक	01.00	05.00	01.00	05.00	01.00	05.00	
14.	पुनः प्रवेश		01.00	10.00	01.00	10.00	01.00	10.00	नाम कट जाने पर पुनः प्रवेश के समय
15.	छात्रपंजी		01.00	10.00	01.00	10.00	01.00	10.00	छात्रपंजी की प्रति प्राप्त करते समय
16.	विलम्ब दण्ड		00.10	01.00	00.10	01.00	00.10	01.00	प्रतिदिन, शुल्क विलम्ब से जमा करने पर
17.	अनुपस्थित दण्ड		00.10	01.00	00.10	01.00	00.10	01.00	प्रतिदिन
18.	गृह परीक्षा	प्रति परीक्षा	05.00	20.00	08.00	25.00	08.00	25.00	

2— उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या—4886 / 15—7—03—1(112) / 87 दिनांक 03—1—03 एवं तत्क्रम में निर्गत अन्य शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

3— उपरोक्तानुसार आवश्यक आदेश तत्काल संबंधित अधिकारियों तथा शिक्षण संस्थाओं को जारी करें तथा जारी किये गये आदेश की प्रतियाँ शासन को भी तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एफ0एन0 प्रधान)
संयुक्त सचिव।

संख्या—2072(1) / 15—7—2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एफ0एन0 प्रधान)
संयुक्त सचिव।

शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0 सं0—शिविर/ 14954—110 /2009—10 दिनांक 22 जनवरी, 2010

उक्त राजाज्ञा की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं यथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— संयुक्त सचिव, शिक्षा—7 अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
2— अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3— समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
4— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
5— सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6— समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0।

22/1/10

(के0 के0 गुप्ता)
उप शिक्षा निदेशक (शिविर)